



304

पूर्वोत्तर रेलवे

75/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।क्रमांक-75/2017
सं० ई/207/1/भाग-24/चारसभी कार्मिक अधिकारी
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्था०,
पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 24-04-2017

विषय—Fresh Settlement Cases में आधार संख्या प्राप्त करने
के सम्बन्ध में।विषयाकृत मामले में लघु विमर्शलेखि/सा० के पत्र संख्या पेंशन/2013/142/
1/पार्ट-2/32 दिनांक 11.04.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

24.04.17
(ए० के० सिंह)उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
 - 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
 - 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
 - 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
 - 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
 - 6- अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसियेशन 18, जाहिद अली क्वार्टर,
मेडिकल रोड शाहपुर, पो०-गीतावाटिका शाहपुर, गोरखपुर-273006
 - 7- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

24.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80

2
75/2017



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
विसमुलेधि/पेंशन
गोरखपुर

दिनांक 11.04.2017
12-04-17

13-04-2017

सं०-पेंशन/2013/142/1/पार्ट-2

32

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी, इज्जतनगर एवं लखनऊ।

Pl. circulate.

17/4/17

19/4

17/4/17

17/4/17

17/4/17

17/4/17

17/4/17

विषय :- Fresh Settlement Cases में आधार सं० प्राप्त करने के संबंध में।
संदर्भ :- रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2015/एसी-11/21/1(Pt) दिनांक 16.03.2017

रेलवे बोर्ड द्वारा अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन केस के साथ आधार संख्या को भी लिंक किया जाये ताकि उसे अर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

अतः आप से अनुरोध है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन केस साथ आधार संख्या को अनिवार्य रूप से लिंक कराया जाये ताकि इसे अर्पण पोर्टल से सम्बद्ध किया जा सके।

उप विसमुलेधि/सा०

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक, पूरु, वाराणसी, इज्जतनगर एवं लखनऊ।
2. वसविस/कारखाना लेखाधिकारी/गोरखपुर, इज्जतनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप विसमुलेधि/सा०

955
Ryepower
25/4/17